सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

डी. साई बाबा
निदेशक
D. Sai Baba
Director
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

फा.सं.सी-39/2013-एमपीलैड्स

Dated 08.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः प्राकृतिक तथा मानव-जनित आपदाओं के संबंध में माननीय सांसदों का अंशदान ।

महोदय,

एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में यह उल्लेख किया था कि जब सांसदों की वार्षिक आवंटन राशि 2 करोड़ रुपए थी उस समय अप्रभावित क्षेत्रों से प्रभावित जिलों के लिए सांसदों के योगदान हेतु 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तय की गई थी, अब सांसदों के वार्षिक आवंटन राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिए जाने पर उन्होंने इस सीमा को यथानुपात आधार पर बढ़ाने की सिफारिश की है ।

2. तदनुसार, प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के मामले में एमपीलैड्स निधियों के आवंटन के लिए वार्षिक सीमा को 25 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.7 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

3. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

"**2.7 "प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाएं**: बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना एवं कीट-हमला, भूस्खलन, तूफान, अनावृष्टि, आग लगना, रासायनिक, जैविक एवं रेडियोलॉजिकल खतरों जैसी आपदाओं की संभावना वाले अथवा उनसे प्रभावित क्षेत्रों में भी एमपीलैड्स कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है । उक्त राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद, उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 25 लाख रु. प्रति वर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं । संबंधित सांसद की निधियां नोडल जिले द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी । प्रभावित क्षेत्र के जिला प्राधिकारी द्वारा एमपीलैड्स निधियों को

दिशानिर्देशों में अनुमेय कार्यों के लिए एकत्र किया जा सकता है । नोडल जिले से प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को इस प्रकार हस्तांतरित की गई राशि, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में पुनर्वास कार्य के लिए प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को हस्तांतरित की गई राशि के रूप में दर्शायी जा सकती है । ऐसे कार्यों के लिए कार्य समापन रिपोर्ट, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र और निधियां प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा समग्र समाधान के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी । एमपीलैड्स निधि की उत्तरवर्ती किस्त को जारी करते समय इस संबंध में नोडल जिला प्राधिकारी से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में अलग से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/समापन रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी ।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

डी. साईबाबा 8/9/14

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।